I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB GURGAON **Year (वर्ष):** 2019

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0004 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 13/02/2019 15:29 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	420
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/02/2019 **Time (समय):** 00:00 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 014 **Date and Time (दिनांक और समय):** 13/02/2019 15:14 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 115 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): नारनौल,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Insp Kulwant Singh

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 06/09/1971 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	32, MC colony, charki dadri, DADRI CITY, CHARKHI DADRI, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	32, MC colony, charki dadri, DADRI CITY, CHARKHI DADRI, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9416424436

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	श्री चमन लाल		Father's Name: श्री राम चन्द्र	1. गांव नागल, JATUSANA,REWARI,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

राज्य चौ कसी ब्यूरो, गुरुग्राम, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम सेवा मे, प्रबन्धक अफसर थाना राज्य चौकस ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम। श्री मान जी, निवेदन यह है कि जांच क्रमांक न0 01 दिनांक 18.02.2016 नारनौल यह जांच मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, के यादी क्रमांक 52/97/15-1 चौकसी (TT) दिनांक 02-02-16 व महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो ,हरियाणा, पंचकूला के पृष्ठ क्रं0 2081 /T-2/रा0 चौ0 ब्यू0, हरि0 दिनांक 24-02-2016 व पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, गुडगांव मण्डल, गुडगांव के डायरी न0 352 दिनांक 01-03-2016 के अनुसार आसूचना रिपोर्ट के आधार पर दर्ज रजिस्ट्रर होकर निम्न आरोपो की पडताल हेतू मन निरीक्षक को प्राप्त हुई थी । जिसमे आरोप है कृषि रकबा नगर पालिका क्षेत्र महेन्द्रगढ के मुस्तिल न0 43 के किला न0 13/2,16/1,17/2,8/1,17/1,16/1,14,15 नॉन अपरुव किला न0 है जिसका नॉन अपरुव नक्शा बनाया । मुस्तिल न0 43 के किला न0 जो नगर पालिका क्षेत्र के रिहायशी क्षेत्र के रुप मे अपरुव है जो कुछ रकबा सरकार द्वारा अपरुव शुदा बुधराम कालोनी चामधेडा रोड, महेन्द्रगढ पर पडता है के किला न0 11,12,19,20 व 22 का कुछ हिस्सा अपरुव है । जिसका सरकार द्वारा अधिकृत पास शुदा नक्शा है । जिसके मुताबिक अपरुव नक्सा का कुल रकबा 5 एकड की है । यह रकबा मुस्तिल न0 43 के अलावा मुस्तिल न0 50 का किला न0 1 से 10 मे से कुछ हिस्सा व मुस्तिल न0 51 के किला न0 5 व 6 का कुछ हिस्सा व मुस्तिल न0 42 का किला न0 15,16 व 25 का कुछ अपरुव शुदा शामिल है । उपरोक्त अपरुव शुदा नक्शा के मुताबिक मुस्तिलो के किला न0 के अलावा मुस्तिल न0 43 के किला न0 15 व18 नगर पालिका महेन्द्रगढ द्वारा कालोनी को नियमित करने के लिए सरकार को विचार करने को प्रोफार्मा सी के अनुसार भेजा गया था । जो सरकार द्वारा मंजूर शुदा नक्शा मे मुस्तिल न0 43 के किला नम्बर 15 व 8 को छोडकर भेजे गए सभी किला नम्बरो को बुधराम कालोनी महेन्द्रगढ कुल रकबा 5 एकड शामिल कर नियमित होकर आया था इस प्रोफार्मा सी मे कॉलम नम्बर 6 मे दर्शाये गए मुस्तिल 43/ / 15, 8 किला नम्बर ऐसा प्रतीत ऐसा प्रतीत होता है कि ये नम्बर ओवर राईटिंग कर बाद मे बदनियति से दर्ज किया लगते है, अनाधिकृत है । इन्ही किला नम्बरो मे नगर पालिका महेन्द्रगढ मे माह जनवरी, 2015 से जून, 2015 के बीच यह जानते हुए कि यह जमीन कृषि एरिया के अनाधिकृत है, फिर बी रिहायसी प्लॉट नगर पालिका के सचिव राजाराम व मुनिसिपयल इन्जिनियर द्वारा अनापति प्रमाण पत्र 50000/- रु0 से 100000/- रु0 लेकर भू माफियाओ से साठ- गाठ करके एन.ओ.सी. जारी कर दी । एम.ई. चम्मनलाल ने एन.ओ.सी. पर हस्ताक्षर के नीचे दिनांक नही डाली और अपने घर बैठकर एन.ओ.सी. जारी करना मालूम हुआ है । श्रीराम किशन उर्फ जीवन राम पुत्र रोहताश जाति अहीर वासी मेघनवास के साथ साजबाज होकर उपरोक्त बिमला देवी, सुमन, सुरेन्द्र सिह , राजमती देवी, उमरावती, उषा देवी, माया देवी, संतोष देवी ने जानबूझ कर नगर पालिका महेन्द्रगढ के सचिव राजाराम व एम.ई. चमन लाल के साथ साठ- गाठ करके मोटी रकम देकर अवैध तरीके से बुधराम कालोनी महेन्द्र मे कुछ जमीन मुस्तिल नम्बर 43 मे जो अधीकृत है कि आड लेकर इसी मुस्तिल की अनाधिकृत जमीन की एन.ओ.सी. जारी करवाकर और जमीन को अपरुव मे दिखाकर अनाधिकृत मे रजिस्ट्रियां करवाई है जो कि अवैध कालोनियां अनाधिकृत क्षेत्र मे विकसित हुई है । इस कालोनी का सरकारी नोटीफिकेशन भी नगर पालिका रिकोर्ड से गायब किया जाना मालूम हुआ है । पडताल के दौरान प्राप्त किए गए कथनो व प्रलेखो से पाया गया है कि मुस्तिल नम्बर 43, खेवट न0

211, खतोनी न0 235, किला न0 8 रकबा 28 कनाल, 12 मरला की जमीन की वर्ष 2014-15 की रिपोर्ट जमाबन्दी हल्का पटवारी , कस्बा महेन्द्रगढ धर्मबीर सिह से प्राप्त की गई । जो प्रलेख फाईल के पृष्ठ 1 से 15 पर लगी देखी जा सकती है । नगरपालिका महेन्द्रगढ से मुस्तिल न0 43, का नक्शा व इसी मुस्तिल के अनाधिकृत एरिया की कमलेश देवी पत्नी भूपेन्द्र सिह, कमलेश पत्नी रविन्द्र कुमार, सुमन देवी पत्नी संजय कुमार , सुशिला देवी पत्नी जयभगवान, सुनिता देवी पत्नी मनोज कुमार यादव व उगन्नता यादव पत्नी नवीन कुमार के नाम रिशवत लेकर चमनलाल तत्कानील नगर पालिका अभियन्ता, महेन्द्रगढ ने कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका, महेन्द्रगढ की रिपोर्ट कराए बिना ही एन,ओ,सी, देने की नियमानुसार शक्तियां ही प्राप्त न होते हुए भी अपने पद का दुरुप्रयोग करके उपरोक्त छः के नाम एन.ओ.सी. जारीकी जानी पाई गई । जिनमे पांच एन.ओ.सी.302 दिनांक 4-2-15, 323 दिनांक 20-2-15, 324 दिनांक 20-2-15,308 दिनांक 09-02-15, 303 दिनांक 04-02-15, चमनलाल नगर पालिका अभियन्ता द्वारा स्वयं देकर व एक एन.ओ.सी. 374 दिनांक 26-03-15 मे सचिव नगर पालिका महेन्द्रगढ श्री राजाराम से अन्य कागजात हस्ताक्षर कराने के साथ एन.ओ.सी. पर हस्ताक्षर कराए जाने पाए गए । श्री राजाराम सचिव, नगर पालिका, महेन्द्रगढ के कथनानुसार चमनलाल, नगर अभियन्ता, नगर पालिका, महेन्द्रगढ द्वारा उपरोक्त पांच एन.ओ.सी. दी जानी पाई गई, जबकि नगर पालिका अभियन्ता को एन.ओ.सी.जारी करने की नियमानुसार कोई शक्तियां ही नही है । जांच से यह भी पाया गया है कि चमन लाल नगर पालिका अभियन्ता द्वारा रुटीन के कागजात पर हस्ताक्षर कराते समय एफ एन.ओ.सी. 374 दिनांक 26-03-15 पर राजाराम सचिव के हस्ताक्षर कराया जाना तस्दीक हुआ है तथा पांच एन.ओ.सी. पर खुद के हस्ताक्षर करके एन.ओ.सी.जारी करना पाया गया है जो चमनलाल नगर पालिका अभियन्ता ने भूमाफियाओ से सांजबाज होकर रिशवत लेकर एन.ओ.सी. जारी की जानी तस्दीक हुई है जिसके खिलाफ अपराधिक मामला धारा 420/120बी भा0द0स0 व 13(1) डी, 13(2) पी.सी. एक्ट का दर्ज करन का सुझाव दिया जाता है । अगर इसमे अन्य प्राईवेट व्यक्ति व सरकारी कर्मचारी की संलिप्तता पाई जावे तो उसे भी अनुंसधान के दौरान देख लिया जावे । एन.ओ.सी. 374 दिनांक 26-03-15 श्रीमति उगन्नता यादव पत्नी नवीन कुमार वासी आकोदा जिला महेन्द्रगढ के नाम जारी की गई वह चमन लाल पालिका अभियन्ता द्वारा अग्रेषित की गई एन.ओ.सी. पर बिना देखे एक जिम्मेवार अधिकारी होने के नाते लगातार अन्य कागजो पर हस्ताक्षर करने के साथ एन.ओ.सी. पर हस्ताक्षक करके श्री राजाराम सचिव नगर पालिका महेन्द्रगढ द्वारा घोर लापरवाही का परिचय दिया जाना पाया गया । राजाराम सचिव के खिलाफ सिविल सर्विस रुल की धारा 7 के तहत विभागीय कार्यवाही का सुझाव दिया जाता है । एन.ओ.सी. की प्रतियां प्रलेख फाईल के पृष्ठ 33 से 55 पर व राजाराम सचिव, नगर पालिका महेन्द्रगढ व चमनलाल , नगर पालिका अभियन्ता, नगर पालिका महेन्द्रगढ का कथन, कथन फाईल के पृष्ठ 1 से 2 व 7 पर लगे देखे जा सकते है । उक्त कालोनी का सरकारी नोटीफिकेशन गुम किया जाना नही पाया गया, बल्कि प्रलेख फाईल के पृष्ठ 56 व मुस्तिल नम्बर 43 के अनाधिकृत क्षेत्र को अधीकृत करने बारे उपायुक्त महोदय, महेन्द्रगढ स्थित नारनौल द्वारा निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, सैक्टर – 4, पंचकूला हरियाणा के प्रस्ताव पत्र न0 2263/एल0एफ0ए0 दिनांक 03-11-2016 अनुसार एन0ओ0सी0 देने के 20 माह बाद भेजा जाना पाया गया, जिसकी प्रति प्रलेख फाईल के पृष्ठ 59 पर लगी देखी जा सकती है । एन0ओ0सी0 जारी करने के सम्बन्ध मे खेवट न0 43 के मालिक रामकिशन यादव पुत्र श्री राम कुमार गांव पाथेडा तहसील व जिला महेन्द्रगढ व औम प्रकाश यादव पुत्र हीरालाल गांव आकोदा जिला महेन्द्रगढ जिसने अपनी पुत्र वधु श्रीमति उगन्नता के नाम जमीन खरीद की है का भी कथन अंकित किया गया जो कथन फाईल के पृष्ठ 11 व 13 लगे देख जा सकते है इसके अतिरिक्त जांच के दौरान राजस्व विभाग, महेन्द्रगढ के तत्कालीन तहसीलदार विजय मोहन, मनबीर सिह, नायब तहसीलदार कंवल सिह व रजिस्ट्रेशन लिपिक विजयपाल को शामिल जांच करके कथन प्राप्त किए गए । जो कथन फाईल के पृष्ठ 21 से 27 पर लगे देखे जा सकते है । जिन्होने अपने अपने कथनो मे बतलाया कि अपनी अपनी तैनाती के दौरान नगरपालिका महेन्द्रगढ से जारी शुदा एन0ओ0सी0 प्राप्त होने पर वसिकाएं पंजीकृत की गई है । जो अनापत्ति प्रमाण पत्रो मे किला न0 व मुस्तिल न0 दर्शाये हुए है । उन्ही के आधार पर वसिकाएं पंजीकृत की गई है । राजस्व विभाग, महेन्द्रगढ के तत्कालीन तहसीदार विजयमोहन ने वसीका न0 598 दिनांक 22-05-2015, व वसीका न0 889 दिनांक 10-06-2015 पंजीकृत की है तथा मनबीर सिह तत्कालीन तहसीलदार ने वसीका न0 3695 दिनांक 05-02-2015 व वसीका न0 15 दिनांक 01-04-2015 पंजीकृत की है तथा तत्कालीन नायब तहसीलदार कंवल सिह ने वसीका न0 3684 दिनांक 29-01-2015 व 3685 दिनांक 29-01-2015 पंजीकृत की हैं। उपरोक्त तीनो अधिकारियो ने नगरपालिका महेन्द्रगढ द्वारा जारी की गई गलत एन0ओ0सी0 के आधार पर ही उपरोक्त वसीकाएं पंजीकृत की है । सरकार द्वारा जारी शुदा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19 फरवरी 2014 जो तहसील कार्यालय मे मौजूद होता है । तत्कालीन तहसीलदार विजय मोहन, मनबीर सिह, नायब तहसीलदार कंवल सिह व रजिस्ट्रेशन लिपिक विजयपाल द्वारा वसीकाएं पंजीकृत करके समय उक्त नोटिफिकेशन से मिलान करना था कि कौनसा क्षेत्र अनाधिकृत या अधिकृत एरिया मे आता है । अनाधिकृत क्षेत्र की वसीकाएं पंजीकृत की है । तहसील कार्यालय, महेन्द्रगढ मे तैनात तत्कालीन तहसीलदार विजय मोहन, मनबीर सिह, नायब तहसीलदार कंवल सिह व रजिस्ट्रेशन लिपिक विजयपाल द्वारा अपने कार्यालय मे मौजूद रिकार्ड से मिलान ना करके गलत बसीकाएं पंजीकृत करके घोर लापरवाही का परिचय दिया है । इसलिए तत्कालीन तहसीलदार विजय मोहन, मनबीर सिह व रजिस्ट्रेशन लिपिक विजयपाल के विरुद्ध हरियाणा सिविल सर्विस रुल दंड एंव अपील नियम 7 के तहत विभागीय कार्यवाही किए जाने का सुझाव दिया जाता है । व नायब तहसीलदार कंवल सिह सेवा निवृत के विरुद्ध हरियाणा सर्विस रुल दंड एंव नियम 2.2 बी के तहत विभागीय कार्यवाही किये जाने का सुझाव दिया जाता है । जो अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग की यादी क्रमांक 52/97/2015-2 वी -2 दिनांक 03.12.2018 व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 17194/1-2/रा0चौ0ब्यू0 (ह0) दिनांक 05.12.2018 के अनुसार श्री चमन लाल पुत्र श्री राम चन्द्र निवासी गांव नांगल डाकखाना कंवाली जिला रेवाडी हाल राम बिहार कालोनी गउशाला रोड महेन्द्रगढ तत्कालीन एम0ई0 नगरपालिका महेन्द्रगढ के विरुद्ध धारा 420,120 बी, भा0द0स0 व 13(1) डी, 13(2) पी.सी. एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुए है । जो पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम के आदेशानुसार मन निरीक्षक द्वारा मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर तैयार करने के आदेश प्राप्त होने उपरान्त तहरीर हजा तैयार करके बराये कायमी मुकदमा बदस्त एच0सी0 अमीत कुमार नम्बर 438/गुरुग्राम के अरसाल थाना है मुकदमा दर्ज करके स्पेशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट व अफसरान बाला की सेवा मे भिजवाई जावे । KULWANT SINGH निरीक्षक रा0चौ0ब्यूरो उपकेन्द्र नारनौल DT 13/2/2019 अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रथम सूचना रिपोर्ट की कम्पयुटर कृति प्रति तैयार की गई । जो नियमानुसार अफसरान बाला वा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब की सेवा मे बतोर स्पेशल रिपोर्ट आरिन्दा मु0 सि0 अमित कुमार न0 438/गुरुग्राम भिजवाई जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश निरीक्षक कुलवन्त राज्य चौकसी ब्यूरो उप- केन्द्र नारनौल की सेवा मे आरिन्दा मु0 सि0 अमित कुमार न0 438/गुरुग्राम को पहुंचाने हेतु दी गई ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Kulwant Singh **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 55SR **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): DHARAMBIR SINGH

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): DSP

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (**अदालत में प्रेषण की **दिनांक** और समय**):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male	01/01/1969				**Is Proxitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)